



डिक्री व मुकद्दमें इब्तादाई  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

2014/00097

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोंयपुर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (R.A.S) कोटा  
मुकदमा नं० 3/14 सन 2014 सीगह  
श्री. वाकीरा पिता हीरा जमेती बनाम श्री. चुनिया पिता व्युला गमार  
कोटा वगैरह कोटा वगैरह  
नं० - गडपीपला नं० - गडपीपला

दावा बाबत 183, 188, 92A RTA Act

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।  
वादी की ओर से वकील श्री. ... प्रतिवादी की ओर से वकील ...

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि श्री गडपीपला  
पत्वार क्षेत्र बड़ली तामील कोटा की जमाबंदी संपत 2070  
से 73 के खाता सेव्या 139 में वर्णित आरक्षित भू 03 कुल  
रकबा 5-04 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण को बंधनल किया  
जाकर वाकीगण के कब्जा सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
उप आयक भी वाकीगण के कब्जे काश्त में दखलदारी नहीं करने  
बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निवेद्याला से पाबंद किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ... रुपये की राशि ... आज की तारीख  
से वसूली की तारीख तक उस पर ... प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ...  
द्वारा ... को दी जाये।

यह आज तारीख 11 मार 07 सन 2015 को  
मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(सत्यनारायण आचार्य)  
हस्ताक्षर न्यायाधीश  
उपखण्ड अधिकारी  
पद कोटा (जिला उदयपुर)

लोक अदालत, कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील ) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील ) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		

